संख्या–ई–8–158 / दस–2013–1074 / 2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उ०प्र० शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2013

विषयः– कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्य को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–ई–8–157 / दस–2013–1074 / 2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भवन निर्माण सम्बन्धी किसी भी लागत के ऐसे कार्य जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट निर्माण घोषित किया जाय, उनका निर्माण एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए ख्याति प्राप्त निर्माण संस्थाओं/ प्राईवेट बिल्डर्स के मध्य खुली निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायेगी : –

1. इस श्रेणी के भवन अथवा विशिष्ट निर्माण कार्यो पर कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित शासनादेश लागू नहीं होंगे। ये कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० अथवा कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम) के माध्यम से कराये जायेंगे, जिसके लिये चयनित कार्यदायी संस्था को कन्सल्टेंसी फीस देय होगी, जिसका निर्धारण अलग से किया जायेगा।

2. कौन सा कार्य उक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा तथा उक्त दोनों संस्थाओं में से किसके माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग इसका निर्णय मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से लेंगे।

3 इस प्रकार के कार्यो में उच्च स्तरीय सैद्धान्तिक निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुति देने के लिए निम्नवत् एक समिति होगी :–

(i)	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग	–	सदस्य

(iii) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(iv) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग — सदस्य

(v) प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग — सदस्य

मुख्य सचिव द्वारा यथावश्यकता किन्हीं उपयुक्त अधिकारियों को विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में समिति की बैठक में बुलाया जा सकता है ।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना हेतु आर्कीटेक्ट का चयन करने हेतु मुख्य सचिव समिति को अपनी संस्तुति दी जायेगी। आर्कीटेक्ट का चयन कार्यदायी संस्था के पैनल से अथवा खुली निविदा के माध्यम से **Quality based selection (QBS)** सिस्टम से किया जायेगा। किस रीति से आर्कीटेक्ट का चयन होना है, यह उक्त प्रस्तर–3 में अंकित समिति के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. मुख्य सचिव समिति द्वारा आर्कीटेक्ट, डिजाइन तथा कार्य की सामान्य विशिष्टियों के बारे में संस्तुति दी जायेगी जिस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से आगणन तैयार कराकर तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति से उसकी स्वीकृति कराते हुए तथा उच्च विशिष्टियों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा खुली निविदा के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण संस्था/प्राईवेट बिल्डर का चयन भवन निर्माण हेतु कराया जायेगा।

6. ऐसे कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी। थर्ड पार्टी का चयन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त प्रस्तर–3 में अंकित समिति से कराया जायेगा।

7. उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या-ई-8-158(1)/दस-13-1074/2012-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
10. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड) लखनऊ ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द मिश्र)

प्रमुख सचिव।